

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/2019/

दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र सं	कर्मचारी का नाम	पदस्थान स्थान	अवकाश अवधि
1	राजबाला	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, झुन्झुनू	1. दिनांक 04.10.2017 से 17.04.2018 तक कुल 196 दिवस का परिवर्तित अवकाश। 2. दिनांक 18.04.2018 एक दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 24.05.2018 से 19.09.2018 तक 119 दिवस का उपार्जित अवकाश। दिनांक 20.09.2018 से 30.09.2018 तक 11 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	सुप्यार देवी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नवलगढ, झुन्झुनू	1. दिनांक 19.09.2017 से 12.03.2018 तक 175 दिवस का परिवर्तित अवकाश। 2. दिनांक 13.03.2018 से 10.07.2018 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 11.07.2018 से 15.07.2018 तक 5 दिवस का असाधारण अवकाश।
3	मंजू देवी	उप स्वास्थ्य केन्द्र बलरिया, खण्ड नवलगढ, झुन्झुनू	1. दिनांक 20.09.2017 से 03.10.2017 तक 14 दिवस का उपार्जित अवकाश। 2. दिनांक 04.10.2017 से 21.01.2018 तक 110 दिवस का परिवर्तित अवकाश। 3. दिनांक 03.01.2018 से 07.03.2018 तक 64 दिवस का उपार्जित अवकाश।
4	मनिका कुमारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेतडी, झुन्झुनू	1. दिनांक 19.09.2017 से 30.09.2017 तक कुल 12 दिवस का परिवर्तित अवकाश। 2. दिनांक 01.10.2017 से 25.11.2017 तक 56 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 26.11.2017 से 08.03.2018 तक 103 दिवस का असाधारण अवकाश।

10/11/17

5	मजू	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेतडी, झुन्झुनू	1. दिनांक 19.09.2017 से 11.10.2017 तक 23 दिवस का परिवर्तित अवकाश। 2. दिनांक 12.10.2017 से 30.12.2017 तक 80 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 31.12.2017 से 18.02.2018 तक 50 दिवस का असाधारण अवकाश।
---	-----	--	--

-sd-

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 30/11/17

क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/2019/ 789

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संबधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
2. संबधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर